



2026:AHC:30686

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं. - 2053 सन् 2026

आलोक चंद सेन – उप निरीक्षक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : मुनेश कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुनेश कुमार के साथ-साथ राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव को सुना।
2. श्री वी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह आगे कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर प्रवेश चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.11.1985 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी होने पर 19.9.2000 को पहला पदोन्नति वेतनमान प्रदान किया गया। इसके बाद, 19 साल की सेवा पूरी करने के बाद, उन्हें तीसरे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ दिया गया।
4. याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उपरोक्त लाभ उसे नियमित रूप से दिए जा रहे थे; हालांकि, 23.12.2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि वेतन के कथित गलत निर्धारण के आधार पर वसूली क्यों नहीं की जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 03.01.2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जो पेपर बुक के पृष्ठ 36 पर रिकॉर्ड में है।
5. हालांकि, उक्त उत्तर पर विचार किए बिना, दिनांक 12.01.2026 का आक्षेपित आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पारित किया गया, जिसमें वेतन के निर्धारण और याचिकाकर्ता को भुगतान की गई कथित अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश दिया गया।
6. उसी पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि दिनांक 03.01.2026 को उत्तर प्रस्तुत करने के बावजूद, आक्षेपित आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए और तथ्यों के गलत पुनरावृत्ति पर पारित किया गया है।
8. श्री वी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।
10. जाहिर है, दिनांक 23.12.2025 के नोटिस ने याचिकाकर्ता को केवल कुछ ही समय दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 03.01.2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है और उसी पर पावती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह उचित समझता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पर आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले विधिवत विचार किया जाना चाहिए था।
11. तदनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पारित दिनांक 12.01.2026 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है।
12. चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही दिनांक 23.12.2025 के नोटिस पर अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए वह 27 फरवरी, 2026 तक प्रतिवादी संख्या 2/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ वर्तमान रिट याचिका की एक स्व-सत्यापित प्रति दाखिल करेगा। उक्त प्राधिकरण इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत और सकारण आदेश पारित करेगा।
13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"